

सार-समाचार

अभिभाषक संघ के चुनाव 8 दिसंबर को

हिण्डौन सिटी (निर्सं)। अभिभाषक संघ हिण्डौन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव पद के लिए होने वाले चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राधेश्याम वर्मा एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता तथा शर्दी लाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालना में संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। जिसमें बार एसोसिएशन हिंडौन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 4 दिसंबर को दोपहर 12:00 तक मतदाता सूची की आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इसके बाद उसी दिन सांय 4:00 बजे अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष एवं महासचिव पद के चुनाव हेतु आवेदन पत्र 5 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे से सांय 4:30 बजे तक भेा किया जा सकेगे तथा 6 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे तक आवेदन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 6 दिसंबर को सांय चार बजे अंतिम रूप से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर दो तक मतदान कराया जाएगा तथा दोपहर दो बजे के बाद मतगणना कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद हेतु चुनाव आवेदन फीस 1100 रुपए तथा उपाध्यक्ष एवं महासचिव पद के चुनाव हेतु आवेदन की फीस 550 रुपए रखी गई है। मतदाता सूची की नकल 50 रुपए देकर प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित अन्य जानकारी समय समय पर चुनाव अधिकारी के द्वारा नोटिस बोर्ड तथा अधिकवक्ता ग्रुप हिंडौन व्हाट्सएप पर दी जावेगी।

‘मतगणना में बारीकी से नजर रखनी होगी’

करौली (निर्सं)। टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रामनिवास मीना ने कहा है कि अभिकर्ताओं को मतगणना के दौरान बारीकी से नजर रखनी होगी। वोटिंग मशीन में दिखाए जाने वाले आंकड़े और कागज पर लिखे जाने वाले आंकड़ों का मिलान बड़ी सूबूझ और पूरी समझ से करना होगा। भाजपा प्रत्याशी रामनिवास मीना शुक्रवार को करौली स्थित राधेश्याम मैरिज गाडन में जिला भाजपा कि ओर से आयोजित विधानसभा वार मतगणना अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर में टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र से सभी अभिकर्ताओं को साथ लेकर शामिल हुए। इस दौरान भरतपुर संगम के प्रभारी हेमराज मीना,जिला प्रभारी प्रेमप्रकाश शर्मा,भाजपा के जिलाध्यक्ष बृजलाल डिकोलिया, कार्यक्रम प्रभारी धीरेन्द्र सिंह बैसला सहित कई प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिविर में टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास मीना के साथ सपोटरा के प्रत्याशी हंसराज बालोती,करौली से प्रत्याशी दर्शन सिंह गुर्जर, हिण्डौन से प्रत्याशी राजकुमारी जाटव भी अपने सभी अभिकर्ताओं को साथ लेकर शामिल हुए। इस दौरान पूर्व आईएएस पीआर मीना,पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश राजोरिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर को संभाल प्रभारी हेमराज मीना,जिलाध्यक्ष बृजलाल डिकोलिया ने भी संबोधित करते हुए अभिकर्ताओं को मतगणना के दौरान बर्ती जाने वाले सावधानियों से विस्तार से बताया। इस शिविर के बाद जिला भाजपा के मंडल पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की पुथक से बैठक हुई।

सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर बैठक

धौलपुर (निर्सं)। अखिल रजक समाज विकास समिति धौलपुर की जिला कार्यकारणी की बैठक समिति कार्यालय अंबेडकर नगर धौलपुर में की गई। जिसमें समाज के आवेबं सामूहिक विवाह सम्मेलन व समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष महेश चंद्र एखवोकेट ने बताया कि समाज की बालिकाओं के लिए समिति द्वारा हर साल सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उसी क्रम में 12 मार्च (फुलेलेट टु) एवं 10 मई (आखातीज) 2024 को समाज के आठवें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसमें समाज की विवाह योग्य युवती एवं युवक भाग ले सकेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन जिला कार्यालय अंबेडकर नगर धौलपुर में किया जाएगा। समिति के कोषाध्यक्ष मनोज कुमार ने समाज में व्याप्त कुटुंबियां को समाप्त करने के लिए समिति द्वारा प्रयास करने का प्रस्ताव रखा। समिति के उपाध्यक्ष हरिकांत और मनोज देवतवारी ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा कैसे दिया जाए पर विचार रखें। साथ ही संजय कुमार, विष्णु कुमार, अशोक कुमार और राकेश कुमार रावपुर ने समाज के संगठन को लेकर कहा कि बिना संगठन के किसी भी हालत में समाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए समाज का संगठित रहना अति आवश्यक है। इस अवसर पर अजय कुमार, केदारनाथ, मनोज, संजय कुमार, विष्णु कुमार, अशोक कुमार, हरिकांत सिंह आदि उपस्थित रहे।

शादी का टेंट लगाते समय करंट लगा, मौत

सैंपऊ (निर्सं)। शादी के लिए टेंट लगाते समय करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवज उनसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मृतक युवक के शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। 22 वर्षीय मृतक अनिल पुत्र रमेश निवासी घडी चटोला को जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक हरपाल का नाला गांव में लाइन सिंह के लडके की शादी में टेंट लगाने के लिए गया हुआ था। शादी के लिए टेंट लगाते समय अचानक लोहे के पाइप में करंट आ गया। करंट की चपेट में आने से युवक मौके पर ही बेहोश हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोग उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जिला अस्पताल धौलपुर की चौकी पुलिस द्वारा घटना की जानकारी सैंपऊ थाना पुलिस को दी गई।

करंट से बालिका की मौत

सरमथुरा (निर्सं)। सरमथुरा उपखंड के कौनेशा गांव में शुक्रवार सुबह घरेलू कार्य करते समय 12 वर्षीय बालिका करौली की चपेट में आ गई। घटना के बाद बालिका के परिवज नभौर अवस्था में बालिका को सरमथुरा अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर डॉक्टर ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृत बालिका कोमल मीणा पुत्री हरिमोहन मीणा उम्र 12 वर्ष, सरमथुरा उपखंड के कौनेशा गांव की निवासी थी। जो कि शुक्रवार सुबह अपने घर पर घरेलू कार्य कर रही थी। इसी दौरान घरेलू कार्य करते समय छाछ बनाने वाली मशीन से करंट की चपेट में आ गई। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अस्पताल पहुंच कर बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिवजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बालिका के पिता हरिमोहन मीणा चेनई शहर में रइकर मजदूरी का कार्य करते हैं। घटना के बाद बालिका के परिवजनों को होराम भच गया है।

मेले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

हिंडौन सिटी (निर्सं)। गांव खेड़ा जमालपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को निपुणे मेला आयोजित किया गया। जिसमें पीईईओ क्षेत्र के सभी विद्यार्थ्यों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। गांव खेड़ा जमालपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं पीईईओ लकी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के निदेशानुसार विद्यालय परिसर में निपुणे मेला आयोजित किया गया। जिसमें पीईईओ क्षेत्र के सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों के शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास सृजनत्मक विकास, भाषणी विकास व सामाजिक विकास आधारित गतिविधियां आयोजित की गई। जिसमें म्यूजिकल चेयर नींबू दौड़, लटकन जलेबी, पहेली पेंटिंग, खिलाौन निर्माण कहानी, कविता पाठ, फैमिली ट्री आदि का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पाँच स्टॉल लगाईं। इसके अवसर पर जगदीश प्रसाद मीना पीईईओ माध्यमिक मुख्यालय करौली द्वारा मेले का अवलोकन किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की खूब प्रशंसा की।

नो बैग डे कार्यक्रम आज

करौली (निर्सं)। तंबाकू रहित जीवन और तंबाकू सेवन से बचाव के उद्देश्य से जिले में नो बैग डे कार्यक्रम आज शनिवार को आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि टोबैको प्री यूथ कैंपेन के अंतर्गत विद्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाया गया है। जिसमें लॉनिंग विदाउट टैग और नो बैग डे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र मीणा ने बताया कि टोबैको प्री यूथ कैंपेन के अंतर्गत विद्यालय में तंबाकू निवर्तण गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा नो बैग डे कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें 2 दिसंबर को विद्यालयों में तंबाकू से जागरूकता पर लघु फिल्मोंकन,रूपाड शो,फ्लेक्स प्रदर्शन से तंबाकू दुष्प्रभावों का प्रतीकीकरण,विद्यार्थियों द्वारा पत्र लेखन के माध्यम से तंबाकू सेवन करना, प्रजिनो को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना,विषय विशेषज्ञों द्वारा तंबाकू उत्पादों पर विद्यार्थियों से संवाद,रोल प्ले पोस्टर प्रदर्शन, तंबाकू नियंत्रण के लिए कविता का प्रस्तुतीकरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

‘बिना पूर्व अनुमति के विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध रहेगा’

गंगापुर सिटी (निर्सं)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव – 2०23 के अंतर्गत 25 नवंबर मतदान दिवस पर शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान कार्यक्रम निष्पादित करने के बाव से ही जिले में मतगणना से संबन्धित गतिविधियां प्रारम्भ हो गयी है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहनगर सवाई माधोपुर में 3 दिसम्बर रविवार को विधानसभा आमचुनाव 2०23 की मतगणना होने जा रही है। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ. अंजली राजोरिया ने बताया कि ने बताया कि पूर्व में 9 अक्टूबर 2०23 को जारी आदेश क्रमांक 29६ के तहत जिले में आदेश आचार संहिता एवं धारा 144 प्रभावी है।

इसलिए मतगणना समाप्ति पर विजेता प्रत्याशी द्वारा बिना पूर्व अनुमति के विजयी जुलूस, सभा, रैली आदि निकालने पर प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतगणनादिवस पर मतगणना केन्द्र से दो-सो मीटर की परिधि के अन्दर कोई भी किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सैल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

प्रशिक्षण का जायजा लिया

करौली (निर्सं)। विधानसभा चुनाव में मतगणना दलों के प्रशिक्षण का आयोजन राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुआ जिसमें दलों को मतगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर प्रशिक्षण का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।मास्टर ट्रेनर द्वारा मतगणना दल कर्मियों को मतगणना में होने वाले राउंड,मतगणना समय,मतगणना दौरान बैठने की व्यवस्था सहित मतगणना के दौरान बर्ती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि मतगणना स्थल पर एंटी आर्थीक काई सहित और बिना मोबाइल के होगी इसका विशेष ध्यान रखा जावे। प्रशिक्षण में माइक्रो पर्यवेक्षक 134, गणन पर्यवेक्षक 11६, गणन सहायक प्रथम 116 और 24 गणन सहायक वतुथी भाग एक बैच ने भाग लिया।जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव कि मतगणना राजकीय महाविद्यालय में 3 दिसंबर को प्रातः आठ बजे से शुरू होगी जिसकी तैयारी के आवश्यक दिशा निर्देश प्रकोष्ठ प्रभारी को प्रदान किए गए हैं।

मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी की

गंगापुर सिटी (निर्सं)। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 3 दिसम्बर को मतगणना की जानी है। जिसे लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने शुक्रवार को यहां बताया कि मतों की गणना 3 सुबह 8 बजे से महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहूगर सवाई माधोपुर में होगी। सवाई माधोपुर एवं गंगापुर जिलों की चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए आवंटित स्ट्रिंग रूम को सुबह 7.3० बजे पर्यवेक्षक की उपस्थिति में

■ मतगणना स्थल पॉलीटेक्निक कॉलेज पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी

का कड़ा पहरा रहेगा। प्रत्येक मतगणना कक्ष में 1३-13 सुरक्षाकर्मी और एक-एक अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रिंग रूम से ईवीएम निकालकर लाने के लिए भी सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

इसके साथ ही मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए दो गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 1 से समस्त अधिकारी/कर्मचारी तथा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, निर्वाचन अधिकर्ता, मतगणना अधिकर्ता तथा मीडियाकर्म प्रवेश करेंगे और गेट नंबर 2 से निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक, जिला मतगणना अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिला निर्वाचन अधिकारीगण तथा रिटर्निंग अधिकारियों के वाहन ही प्रवेश करेंगे। आगनुक्तों को हैड हेड्ल मेटल डिटेक्टर से फ्रिकिंग के बाद प्रवेश दिया जा जाएगा। कोई भी ज्वलनशील वस्तु, मोबाइल, पैन या कोई भी

जमा कराये जाने हेतु ले जाये जाने पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन करने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात एवं कानून व्यवस्था के सम्बंध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये हैं, उन पर लागू नहीं होगा। साथ ही यह आदेश बैक, एटीएम, बैंक की केश वेन, पेट्रोल पम्प, औद्योगिक क्षेत्र तथा टोल नाके पर नियमानुसार नियुक्त सशस्त्र गार्ड पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय रायफल एसोशियन के सदस्य खिलाडियों पर, जिनके द्वारा पशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है या किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया जा रहा है पर लागू नहीं होगा।

गंगापुरसिटी जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति गंगापुर सिटी जिले की सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारी को अपने साथ नहीं लायेगा ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा। कोई भी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व

हिण्डौन एवं मुकेश कुमार सावरिया न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हिण्डौनसिटी उपस्थित हुए।

बैठक में उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देश दिये गये कि वे लोक अदालत से पूर्व पक्षकारों से प्री-कार्डसलिंग करें तथा लोक अदालत हेतु न्यायालय में राजीनामा योग्य लिम्बित कुल प्रकरणों में से अधिकाधिक संख्या में प्रकरणों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर कर उन्हें निस्तारित करने का प्रयास करें।

उक्त बैठक के पश्चात तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डौन के बार संघ अध्यक्ष एवं अन्य समस्त अधिकारीगण के साथ अधिवक्ता कक्ष में माधवी दिनकर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) करौली की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में बीना गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली, सीताराम मीना अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-01 हिण्डौनसिटी दिनेश कुमार जलुथरिया अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02 हिण्डौनसिटी, प्रताप सिंह मीना अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौनसिटी, रविन्द्र कुनाल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट

अग्रवाल समाज समिति की बैठक आयोजित

गंगापुर सिटी (निर्सं)। अग्रवाल समाज समिति की एक बैठक बुधवार रात्रि 7 बजे अग्रवाल भवन ट्रस्ट में समाज समिति अध्यक्ष घनश्याम दास बंसल, गोविंद प्रसाद बरनाला, रमेश चंद्र रौसी वाले, राधा मोहन गोयल पिलौदा वाले, कैलाश चंद सरमथुरा वाले का नाम जिला अग्रवाल समाज समिति गंगापुर सिटी के लिए स्वीकृत किया गया।

बैठक में 11 दिसंबर को अग्रवाल धर्मशाला के मंदिर परिसर में ५6 भाग मनेयन कर रिव्त स्थान की पूर्ति की गई। समाज समिति अध्यक्ष घनश्याम दास बजाज ने कहा कि गंगापुर सिटी जिला अग्रवाल समाज का नवीन गठन किया जाना है जिसके लिए पूर्वी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश

सार-समाचार

अध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

करौली (निंसं)। सैनी, माली, कुशवाह समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम का जिला कलेक्टर को ज्ञापन पेश कर छात्र के साथ मारपीट करने वाले अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही कि मांग कि है। समाज के युवा जिला अध्यक्ष चन्दर सिंह सैनी, दीनदयाल, रामखिलाडी, नहारसिह,भंवर सिंह माली, राजीव सैनी ,अनिल सैनी, निर्दलीय प्रत्यापी नंदलाल माली,मोती लाल आदि समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर `अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन पेश कर बताया कि छात्र सोनू सैनी कि गत 28 अक्टूबर को प्रातः11:00 बजे के करीब राजकीय सीनियर सेकण्डरी विद्यालय करौली के अध्यापक गणपत लाल ने कक्षा कक्ष मे आकर बेरहमी से मारपीट कर छात्र को अधमरा कर दिया जिसका मुकदमा कोतवाली थाने मे दर्ज है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद छात्र को करौली अस्पताल मे भर्ती कराया गया। जहा से उसे जयपुर के एसएमएल अस्पताल के लिये रैफर कर दिया और उसका अब तक ईलाज चल रहा है मामले को लेकर कई बार पुलिस प्रयासन एवं आला अधिकारियों को अवगत करा दिया। लेकिन आज तक दोषी अध्यापक को गिरफ्तार तक नहीं किया। नाही उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कि है। जिससे अन्य छात्रो मे भय व्याप्त है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग कि है कि शीघ्र अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही कि जाये अन्यथा सैनी,माली,कुषवाह समाज के लोग आगामी पाँच दिन बाद उग्र रूप लेकर सडको पर उतरते हुए धरना,प्रर्षेन एवं सडक मार्ग जाम करने को मजबूर होंगे। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन कि होगी।

चारे से भरी पिकअप पलटी, हादसा टला

करौली (निर्सं)। करौली शहर से होकर निकल रहे एनएच-23 सडक मार्ग पर मैगजीन क्षेत्र मे जर्जर सडक मार्ग पर चारे से भरी एक पिकअप गाडी पलट गई मगर हादसा टल गया। करौली जिला मुख्यालय से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे -23 के सडक मार्ग पर मैगजीन क्षेत्र मे चारे से भरी एक पिकअप जर्जर सडक मार्ग मे हो रहे गड्डो मे चारे से बल पलट गया। अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमे भरा पशु चारा हाईवे कि सडक पर भरे गंदे पानी मे बिखर गया और चारा सडक पर फैलने से खासा नुकसान हो गया वही आने जाने वाहन सवारो को भी परेशानियो का सामना करना पडा। गनीमत रही कि हादसे मे पिकअप चालाक और सवार किसका जान बच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार कि रात कैलादेवी कि तरफ से पिकअप मे पशु चारा लेकर जा रहा था। सब बीच मैगजीन गिराहे पर क्षतिग्रस्त पर हो रहे गड्डो मे भरे पानी मे वाहन के जाने से बल पलट गया। जिससे चालक और किसान बाल-बाल बच गये। वही हादसे के समय आस-पास किसी वाहन के नही होने के कारण बडा हादसा होते-होते टल गया। हालाकि किसान का पशु चारा गंदे पानी मे फैलने से उसे आर्थिक नुकसान उठाना पडा। आस-पास के लोगो ने बताया कि जबसे हाईवे सडक का निर्माण हुआ है। तभी से करौली के मैगजीन क्षेत्र मे सडक पर पानी का भराव रहने के कारण क्षेत्र के लोगो,रहागीरों और वाहन सवारो को बडी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी

धौलपुर (निर्सं)। उप वन संरक्षक किशोर गुप्ता के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा वन विभाग की टीम ने अवैध पत्थर खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है। जिसके तहत अवैध खनन के खिलाफ सरमथुरा वन विभाग की एक टीम ने शुक्रवार दोपहर कार्रवाई करते हुए अवैध फर्शी पत्थर से भरे हुए एक ट्रक एवं बोल्डर पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की है। वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध पत्थर खनन कारोबारियों में हडकंप मच गया है।

अनकूट कल

गंगापुर सिटी (निर्सं)। निश्कतजन जागरण मंच के तत्वाधान में कल पंचायत समिति में विश्व विकलांग दिवस एवं निश्कतजागरण मंच के स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष अमजद खान ने बताया कि विश्व विकलांग दिवस एवं निश्कतजन जागरण मंच के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गंगापुर सिटी पंचायत समिति के हनुमान जी के मंदिर पर निश्कतजनों के लिए अन्नकूट प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

अन्नकूट कल

बैठक में समिति कोषाध्यक्ष

कैलाशा चंद अग्रवाल, भवन ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेश चंद्र रावपुर, प्यारेलाल गां, मोतीलाल गोयल पिलौदा वाले, गोधर्धन लाल कंजौली वाले, प्रेमचंद तलाबडा वाले, शिवदयाल सैगरपुरा, बाबूलाल, वसंतेश चंद्र महस्था, गोपाल लाल बैराडा, बालकिशन, सत्य अर्य, महेश चंद सर्वेयर, दीपक पाटोली, मोहनलाल ठेकेदार, कैलाश चंद बीएसएसल, अशोक मंगल, संजय आर्य, दिनेश चंद, जितेंद्र बुक सेलर, मदन मोहन अधिकर्ता, रवि डोलर, राधेश्याम बुक सेलर, नंदकिशोर, लक्ष्मण गुप्ता, रमेश चंद सरमथुरा, मनीष गुप्ता आदि सहित समाज के सैकड़ो गणमान्य बंधु उपस्थित थे।

जीवन विज्ञान विषय पर कार्यशाला का आयोजन

भरतपुर (निर्स)। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और भावनात्मक विकास तभी पूरी तरह से संभव है। जब जीवन विज्ञान को जीवन में आत्मसात कर ले इसी को ध्यान में रखते हुए अणुव्रत विष्व भारती सोसायटी के तत्वध्यान में जीवन विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित जीवन विज्ञान विषय के बारे में फ्यूजर पॉइंट एवं अनुपम किड्स एकेडमी पर जीवन विज्ञान विषय पर कार्यशाला आयोजित की गयी।

सगण्ठी का आयोजन माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर से पधारे जीवन विज्ञान ट्रेनर भगवत सिंह ने विभिन्न आसन सम्पादनासन, ताडासन, कोणासन व पादहस्तासन के प्रयोग के साथ की गयी। इसी कडी में कुछ महत्वरूप योगिक क्रियाएँ मस्तक, आंख, कान, नाक, मुख एवं स्वर यंत्र व गर्दन के प्रयोग कराते हुए कहा कि जीवन विज्ञान को एसा विज्ञान जो प्रत्येक 800 करोड़ लोगों के लिए एक रूप से लागू होता है जीवन विज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। स्वस्थ समाज रचना के लिए स्वस्थ

नाम संशोधन मै KAMLESH W/O SATYAVEER SINGH निवासी सररौना तहसील वैर जिला भरतपुर 30थ पत्र क्रमांक 5339
दिनांक ३०/11/2023 के तहत सरसथ चोषणा करती हूँ कि मेरा पति SATYAVEER SINGH आर्मी में कार्यरत है। जिसका आर्मी नंबर 14928011P है । उनके आर्मी रिकॉर्ड में गलती से मेरा नाम KAMLESH दर्ज हो गया। जबकि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम कमलेश देवी दर्ज है। जो सही है । मैं अपने पति के आर्मी रिकॉर्ड में ही मेरा सही नाम KAMLESH DEVI दर्ज करवाना चाहती है।

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना (साधारण प्रारूप) व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4 न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश क्रम सं. 03, जयपुर महानगर द्वितीय अरविन्द कुमार गुप्ता विरुद्ध दीपक कुमार शर्मा व अन्य वाद/प्रार्थना पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र

प्राथीना-पत्र संख्या 144 सन् 2023 नाम दीपक कुमार शर्मा पुत्र रामवर्मा शर्मा जाति ब्राह्मण पता कोटरा ठहर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.) उक्त प्राथी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि... अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए दि. 6 माह 12 सन् 2023 को 10.00 पूर्वाह्न में सत्य या अपने वकीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अन्वेष किया गया हो, उपसंज्ञात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 18 माह 11 सन् 23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई। प्रस्तुतकार-अपर सिविल न्यायाधीश के लिए समन (आदेश 5 के निर्देशन 1 और 5) न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश क्र.सं.3, जयपुर महानगर द्वितीय अरविन्द कुमार गुप्ता विरुद्ध दीपक कुमार शर्मा व अन्य

विवादकों के निरीक्षण के लिए समन (आदेश 5 के निर्देशन 1 और 5) न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश क्र.सं.3, जयपुर महानगर द्वितीय अरविन्द कुमार गुप्ता विरुद्ध दीपक कुमार शर्मा व अन्य
वाद वाकल- अति. निषेधाज्ञा व शूच्य वाद सं.-157 सन् 2023 बनार दीपक कुमार शर्मा पुत्र रामवर्मा शर्मा जाति ब्राह्मण पता कोटरा ठहर, हिण्डौन सिटी (राज.) वही ने आपके विरुद्ध के लिये सब पंजीकृत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 06.12.2023 को दिन में 10.00 बजे वाद का उत्तर देने लिये उपसंज्ञात (हाज़िर) होने के लिये सत्य दिना ज्ञात किया है। आप न्यायालय में सत्य या किसी ठेके वकीडर द्वारा उपसंज्ञात हो सकते हैं जिसे सम्यक अन्वेषण दित गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी साक्षारण प्रमाणों का उत्तर दे सके या सविनियम सहा सेवा करे। यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके वकीडर व कर्तिक में हो अपना प्रतिज्ञा या मुनोरॉफ के दावे या प्रतिज्ञा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित सम्य के बाद उपग्राहक की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप अपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंज्ञात नहीं होने तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी उपस्थिति में किया जाएगा। यह वाद ता. 18 माह 11 सन् 23 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दित गये है। अति. न्यायाधीश के लिए समन (आदेश 5 के निर्देशन 1 और 5) न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश एवं सरस्तुतकार-अपर सिविल न्यायाधीश महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-3 जयपुर महानगर द्वितीय